कार्यालय कलेक्टर (जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी)
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

ई-मेल – degmtik@mp.gov.in | degmtikamgarh@gmail.com

क्रमांक 02 /जि.ई.ग.सो./2018 टीकमगढ़, दिनांक 03.01.2018

विज्ञप्ति

जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी टीकमगढ़ अन्तर्गत लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के तहसील, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय हेतु एक-एक कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त 03 पद **(अनुसूचित जाति पु.-2 म.-1)** की पूर्ति हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र सीधे कार्यालय कलेक्टर (जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी), जिला टीकमगढ़ को दिनांक 10-Jan-18 तक समय सायं 05.30 बजे तक प्रेषित किये जायें।

आवेदन का प्रारूप, अर्हतायें/योग्यता, संविदा नियुक्ति की शर्तें जिला टीकमगढ़ की वेबसाइट www.tikamgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

* सी.पी.सी.टी. का वैध स्कोर कार्ड अनिवार्य अर्हता है। सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड न होने या इसके वैध न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बगैर सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड या अवैध सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड वाले आवेदन स्वत: निरस्त माने जायेंगे।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ.क्र. 02 /जि.ई.ग.सो./2018 टीकमगढ़, दिनांक 03.01.2018

प्रतिलिपि :-

1. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जिला टीकमगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., जिला टीकमगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति जिले की वेबसाइट www.tikamgarh.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4. तहसील कार्यालय टीकमगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी)
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

ई-मेल – degmtik@mp.gov.in | degmtikamgarh@gmail.com

क्रमांक 03 /जि.ई.ग.सो./2018 टीकमगढ़, दिनांक 03.01.2018

विज्ञापन

जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी टीकमगढ़ अन्तर्गत जिले के राजस्व न्यायालयों में स्वीकृत संविदा पर कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

संविदा पद का विवरण

क्र.	संविदा पद का नाम	मानदेय/ राशि प्रतिमाह	स्वीकृत पद संख्या
1.	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	रू. 10000/-	03

आरक्षण तालिका

क्र.	पद का नाम	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या								
		अनारक्षित		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.पि.व.		योग
		पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	
1.	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	योग	0	0	0	0	2	1	0	0	3

1. तालिका में दर्शित स्वीकृत पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10-Jan-18 तक आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर (जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी), जिला टीकमगढ़ में आमंत्रित किये जाते हैं।
2. निर्धारित अर्हतायें एवं योग्यताधारी उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में डाक द्वारा या स्वयं कार्यालयीन समय में (अवकाश दिवस छोड़कर) जमा कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। नियुक्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उपयुक्त होने पर नियुक्ति में एक-एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

4. अर्हतायें

4.1 शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

4.2 सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण।

4.3 कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी, दस्तावेजों की स्कैनिंग, एम.एस. ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 03 साल का अनुभव।

5. पात्रता

5.1 उम्मीदवार मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

5.2 नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 5 वर्ष की छूट देते कहुए आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी।

5.3 आयु सीमा दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में परिगणित की जायेगी।

6. नियुक्ति की प्रक्रिया

6.1 कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की समिति द्वारा उपरोक्त अर्हताओं अनुसार जाँच की जाकर पात्र/अपात्र की सूची पृथक-पृथक बनाई जावेगी। चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. पात्र आवेदकों की सूची को सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी। सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिंदी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जावेगा, जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो।

2. यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो हिंदी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।

3. हिंदी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।

4. मेरिट में दो आवेदकों को कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी, हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।

6.2 आवेदक टीकमगढ़ जिले की वेबसाइट www.tikamgarh.nic.in पर भी समस्त जानकारी देख सकते हैं।

6.3 उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

6.4 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र टीकमगढ़ रहेगा।

7. नियुक्ति की शर्तें

7.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।

7.2 नियुक्ति के पश्चात जिले के मेडीकल बोर्ड का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाणपत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा।

7.3 नियुक्ति संविदा कर्मचारी की सेवायें निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।

7.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नकद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

7.5 नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से सम्बन्धित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

7.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

7.7 नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।

7.8 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

7.9 नियुक्ति तिथि में दर्शाई गई तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा।

7.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से सम्बन्धित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

7.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।

7.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

7.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वत: समाप्त मानी जायेगी।

8. संविदा अवधि

8.1 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगी।

8.2 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

8.3 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, जिससे उनके कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

9. **मानदेय/पारिश्रमिक**

9.1 संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन रू. 10000/- मात्र देय होगी।

9.2 संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।

9.3 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

10. **अवकाश**

10.1 वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 15 दिवस चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जायेगा। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

11. **ई.पी.एफ. कटौत्रा :-**

11.1 ई.पी.एफ. कटौत्रा के सम्बन्ध में ई.पी.एफ. एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

12. **अन्य :-**

12.1 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण सम्बन्धी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।

12.2 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

12.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

13. **विवादों का निपटारा**

किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1. अ. आवेदक का पूरा नाम हिंदी में :- ....
....

ब. अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) :- ....
....

2. लिंग – पुरूष/महिला :- ....

3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित :- ....

4. पत्र व्यवहार हेतु स्थायी पता :- ....
.... (पिनकोड सहित)
ई-मेल आई.डी. .... मोबाइल नं. ....

5. जन्मतिथि (अंकों में) .... (कक्षा 10 परीक्षा के प्रमाणपत्र के आधार पर)

6. दिनांक 01.01.2018 को आयु : .... वर्ष .... माह .... दिन

7. क्या मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं ? हॉं/नहीं ....

8. क्या आवेदक म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. के लिए घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉं/नहीं .... (प्रमाणपत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

9. शैक्षणिक योग्यता :- (स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/ बोर्ड/ वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.	हायर सेकण्डरी				

10. अनिवार्य योग्यता (सी.पी.सी.टी.)

कम्प्यूटर दक्षता			अंग्रेजी टाइपिंग		हिंदी टाइपिंग		औसत प्रतिशत
कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	शब्द प्रति मिनिट (WPM)	प्रतिशत	शब्द प्रति मिनिट (WPM)	प्रतिशत	
Qualified/ Disqualified			Qualified/ Disqualified		Qualified/ Disqualified		

11. अनुभव (प्रमाणपत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	कार्यालय/ संस्था का नाम	पद	कार्य का विवरण	अवधि	
				कब से	कब तक

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णत: सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर